फैसला
115
10.11.2020

FORM NO – 111
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि.
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि.
सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त
तरुण कोटवानी पुत्र खुशीराम कोटवानी
जाति-सिंधी, निवासी-डॉ.सम्पूर्णानन्द कॉलोनी
यादव हॉस्पिटल के पास, 41ए, सिरोही
तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
फर्म:- अशोक एण्ड ब्रदर्स, हॉस्पिटल रोड,
सरजावाव गेट, सिरोही, जिला- सिरोही

किस्म मुकदमा - धारा 26(2)(ii) एवं 51
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 — प्रकरण संख्या 42/2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
10.11.2020	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त तरुण कोटवानी के विरुद्ध आज दिनांक 10.11.2020 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी तरुण कोटवानी पुत्र खुशीराम कोटवानी, जाति– सिंधी, निवासी– डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, यादव हॉस्पिटल के पास, 41 ए, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, अशोक एण्ड ब्रदर्स, हॉस्पिटल रोड, सरजावाव गेट, सिरोही, जिला– सिरोही इस न्यायालय में आज दिनांक 10.11.2020 को स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी तरुण कोटवानी को नोटिस पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी तरुण कोटवानी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 08.11.2019 को जिस पान मसाला महक सिल्वर का नमूना जांच हेतु लिया गया था वह मेरी फर्म अशोक एण्ड ब्रदर्स से लिया गया था मैंने न्याय र्णियन आवेदन में लगाये आरोपों को सुन एवं समझ लिया है। इस संबंध में मेरा कथन यह है ....लगातार	Tarun Kumar 6/11/20

सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 12:50:47 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 42/2020**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	पान मसाला (महक सिल्वर) के 24x1 पैक (120 ग्राम पैक्ड पाउचेज) में से खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) के 12x1 पैक (120 ग्राम पैक्ड पाउचेज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) के नमूना संख्या S-1076 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./974/Act/2019/994 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार असुरक्षिक खाद्य पाया गया। जिस पर प्रतिवादी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को प्रारुप--8 में पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) के नमूने के द्वितीय भाग को जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेटरी, मैसूर को जांच हेतु भिजवाया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को पत्र संख्या:FT/AQCL/FSSA(304F)/2020 Date 09/7/2020 से प्रेषित Certificate of analysis No.304F/FSSA/2020 दिनांक 09.7.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) का नमूना संख्या S-1076 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी तरुण कोटवानी ने उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी तरुण कोटवानी की फर्म अशोक एण्ड ब्रदर्स, हॉस्पिटल रोड, सरजावाव गेट, सिरोही, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत तरुण कोटवानी पुत्र खुशीराम कोटवानी, जाति– सिंधी, निवासी– डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, यादव हॉस्पिटल के पास, 41ए, सिरोही, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, अशोक एण्ड ब्रदर्स, हॉस्पिटल रोड, सरजावाव .....लगातार	

सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

...जिला मजिस्ट्रेट ...ही–307001.

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 12:56:44 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 42/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	पान मसाला (महक सिल्वर) के 24x1 पैक (120 ग्राम पैक्ड पाउचेज) में से खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) के 12x1 पैक (120 ग्राम पैक्ड पाउचेज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) के नमूना संख्या S-1076 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./974/Act/2019/994 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार असुरक्षिक खाद्य पाया गया। जिस पर प्रतिवादी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को प्रारुप–8 में पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) के नमूने के द्वितीय भाग को जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेटरी, मैसूर को जांच हेतु भिजवाया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को पत्र संख्या:FT/AQCL/FSSA(304F)/2020 Date 09/7/2020 से प्रेषित Certificate of analysis No.304F/FSSA/2020 दिनांक 09.7.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) का नमूना संख्या S-1076 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी तरुण कोटवानी ने उक्त खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी तरुण कोटवानी की फर्म अशोक एण्ड ब्रदर्स, हॉस्पिटल रोड, सरजावाव गेट, सिरोही, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पान मसाला (महक सिल्वर) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत तरुण कोटवानी पुत्र खुशीराम कोटवानी, जाति– सिंधी, निवासी– डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, यादव हॉस्पिटल के पास, 41ए, सिरोही, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, अशोक एण्ड ब्रदर्स, हॉस्पिटल रोड, सरजावाव .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shrey Malaviya
Date: 2020.12.30 12:56:44 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 42/2020**	नम्बर व तारिख अहकाम जो हैं हुक्म की तामिल में जारी हुए
	गेट, सिरोही, जिला— सिरोही पर राशि रुपये 10,000/— (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी तरुण कोटवानी पुत्र खुशीराम कोटवानी, जाति— सिंधी, निवासी— डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, याद हॉस्पिटल के पास, सिरोही, जिला— सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 10 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23.11.2020 को पेश हो। 10/11/2020 **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही**	

सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 12:56:44 IST
Reason: SelfAttested